

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पत्रांक-बजट/44/2023-SEC_5-EDU DEPT-Part(1) (C.No-525556)..01....

सेवा में,

महालेखाकर, (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल, पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 07/04/2026

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

द्वारा — आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 में शिक्षा विभाग में किए गये गुणात्मक सुधार हेतु विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों के निपटारे हेतु विभाग में अधिष्ठापित Command and Control Centre में सेवा दे रहे मानव बल का 26 फरवरी 2026 से 25 मार्च 2026, माह के मानदेय एवं Inbound Outbound Voice Process System विपत्र की राशि का भुगतान हेतु कुल 14,75,180/- (चौदह लाख पचहत्तर हजार एक सौ अस्सी) रुपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि शिक्षा विभाग अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित केन्द्रीकृत रूप में शिकायतों के निराकरण एवं लगातार अनुश्रवण की व्यवस्था बनाये रखने हेतु मुख्यालय में Command and Control Centre का अधिष्ठापन किया गया है। BPSK के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण द्वारा लगभग 3.50 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। TRE-4 द्वारा भी इसमें शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इन शिक्षकों के शिकायतों एवं बच्चों की कोई भी समस्या के साथ-साथ अन्य समाजिक सेवा भावना के जन लोक शिकायत पूर्व से Command and Control Centre में शिकायत प्रेषित करते रहे हैं। इनका अनुश्रवण लगातार किया जा रहा है। विभागीय कार्यादेश संख्या 1587 दिनांक 01.08.2023 द्वारा 30 Executives, 03 Supervisor एवं 01 Manager, विभागीय कार्यादेश संख्या 2067 दिनांक 21.11.2023 द्वारा TRE-1, TRE-2 Document Mapping के लिए 04 Executives, कार्यादेश संख्या 2377 दिनांक 27.12.2023 द्वारा 10 Man Power बढ़ाया गया जिसमें 09 Executives एवं 01 Supervisor, कार्यादेश संख्या 1899 दिनांक 25.10.2023 द्वारा 04 Programmer, कार्यादेश संख्या 2010 दिनांक 08.11.2023 द्वारा 04 Programmer BPSK को Software Development हेतु सेवा प्रदान करने हेतु सेवा प्रदाता को रखने की अनुमति दी गई। इस प्रकार कुल 05 कार्यादेश द्वारा 43 Executives, 04 Supervisor, 10 Programmer एवं 01 Manager सहित कुल 58 मानव बल उक्त सेवा प्रदाता एजेन्सी को रखने की अनुमति दी गई। लेकिन वर्तमान में 47 मानव बल कार्यरत है। इन कार्यादेशों के विरुद्ध सेवा दे रहे आउटसोर्सिंग मानव बल का 26 फरवरी 2026 से 25 मार्च 2026, माह के मानदेय एवं Inbound Outbound Voice Process System विपत्र की राशि का भुगतान हेतु कुल 14,75,180/- (चौदह लाख पचहत्तर हजार एक सौ अस्सी) रुपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि की स्वीकृति कार्यादेश संख्या 2377 दिनांक 27.12.2023, कार्यादेश संख्या 2010 दिनांक 08.11.2023, कार्यादेश संख्या 1899 दिनांक 25.10.2023 तथा कार्यादेश संख्या 2067 दिनांक 21.11.2023 के आलोक में की जा रही है।

Sm

3. Command and Control Centre/Call Centre के राशि भुगतान की स्वीकृति में उक्त एजेंसी का शिक्षा विभाग के साथ हुए एकरारनामा में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करना सुनिश्चित करना चाहेंगे।

4. उक्त एजेंसी द्वारा लिये गये सेवा के विरुद्ध उपलब्ध कराई गई Tax Invoice की विवरणी निम्न प्रकार से है:-

Sl. No.	Item & Description	Month	Invoice No.	Invoice Date	Amount
1	Call Centre Executives/ Supervisor/Project Manager एवं Technical Service Charge (Total-34 manpower)	26th February to 25th March 2026	CB/BHR/25-26/424	30.03.2026	8,49,937
2	Call Centre Executives/ Supervisor (Total-09 manpower)		CB/BHR/25-26/426	30.03.2026	2,20,338
3	Programmer for software development of TRE (Total-04 manpower)		CB/BHR/25-26/425	30.03.2026	1,39,405
4	Inbound Outbound voice process system		CB/BHR/25-26/427	30.03.2026	2,65,500
Total :-					14,75,180

5. प्राप्त अभिश्रवों के कर योग्य राशि का 2% TDS (GST) रुपये तथा 2% TDS (IT) की विवरणी निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	विवरणी	प्राप्त अभिश्रव	कर योग्य राशि	कर योग्य राशि का 2% TDS (GST)	कर योग्य राशि का 2% TDS (IT)	कटौती (5+6)	कटौती उपरान्त शेष राशि (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Call Centre Executives/ Supervisor/Project Manager एवं Technical Service Charge (Total-34 manpower)	8,49,937	7,20,286	14,406	14,406	28,812	8,21,125
2	Call Centre Executives/ Supervisor (Total-09 manpower)	2,20,338	1,86,727	3,735	3,735	7,470	2,12,868
3	Programmer for software development of TRE (Total-04 manpower)	1,39,405	1,18,139	2,363	2,363	4,726	1,34,679
4	Inbound Outbound voice process system	2,65,500	2,25,000	4,500	4,500	9,000	2,56,500
Total		14,75,180	12,50,152	25,004	25,004	50,008	14,25,172

प्राप्त कुल अभिश्रव (14,75,180/- रुपये मात्र) के कर योग्य राशि 12,50,152/- रुपये मात्र का 2% TDS (GST) रुपये 25,004/- तथा 2% TDS (IT) रुपये 25,004/- के कटौती उपरान्त शेष राशि 14,25,172/- रुपये मात्र का भुगतान M/S Code Bucket Solutions Pvt. Ltd को किया जायेगा। स्वीकृत राशि का आवंटन बजट पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। स्वीकृत राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा द्वारा करते हुए कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, न्यू सचिवालय, विकास भवन, पटना के माध्यम से M/S Code Bucket Solutions Pvt. Ltd. H.No. 497, Lalita Niwas, Patliputra Nehru Nagar, Patna- 800001 के Bank Name- ICICI Bank Limited Kalamassery Branch, Account Name- CODEBUCKET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED, Account Number- 115905000622, IFSC Code- ICIC0001159 में बैंक ड्राफ्ट/चेक/RTGS/NEFT/अन्य स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से राशि का अंतरण करेंगे।

Signature

6. उक्त राशि के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2026-27 में निम्न बजटीय शीर्ष के आधार पर किया जायेगा-

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा, लघुशीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0009-जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू), विपत्र कोड-21-2202-02-001-0009, विषय शीर्ष-0009.28.04-व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ मद अंतर्गत विकलनीय होगा।

7. अभिश्रव में भारित स्रोत पर GST, आयकर, सेवाकर इत्यादि अनुमान्य कटौती भुगतान के समय विपत्र से करने की जिम्मेवारी एजेंसी की होगी तथा निर्धारित समयावधि में इसे जमा किये जाने का साक्ष्य विभाग को एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

8. उक्त मद का अनुश्रवण निदेशक (प्रशासन) द्वारा किया जायेगा।

9. राशि के व्यय में मितव्ययिता अवश्य बरती जाय एवं किसी भी परिस्थिति में संबंधित मद के अलावे अन्य मद में न किया जाय।

10. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. संचिका संख्या-बजट/44/2023-SEC_5-EDU DEPT-Part(1) (C.No-525556) के नोट संख्या-165/टि० पर राशि की निकासी पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. राशि की निकासी एवं व्यय स्रोत पर GST, आयकर, सेवाकर इत्यादि अनुमान्य कटौती भुगतान के समय विपत्र से करने एवं वित्त विभागीय स्थायी आदेश सं-2561, दिनांक-17/04/1998 एवं वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्प, परिपत्रों/अन्य पत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जाएगी।

13. राशि की स्वीकृति वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-5 (ख)(ii) के आलोक में दी जा रही है।


14. संचिका संख्या- बजट/44/2023-SEC_5-EDU DEPT-Part(1) (C.No-525556) के नोट संख्या-174/टि० पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापक-- बजट/44/2023-SEC_5-EDU DEPT-Part(1) (C.No-525556)....०१...पटना, दिनांक- 07/04/2026

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, न्यू सचिवालय, विकास भवन, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद/उप निदेशक(प्रशासन)-सह-बजट पदाधिकारी/निदेशक(प्रशासन)/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/बजट शाखा/लेखा शाखा/विपत्र लिपिक/M/S Code Bucket Solutions Pvt. Ltd. H.No. 497, Lalita Niwas, Patliputra Nehru Nagar, Patna-800001/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव

⑤